प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 13 मई, 2020

विषय-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्वान्तों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-311/कार्य0अनु0/वि0नि0/2020 दिनांक-04.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु आश्रय स्थलों की स्थापना का कार्य विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की मार्ग निर्देशिका के अनुमन्य कार्यों की दृष्टान्त सूची (परिशिष्ट-1) में निम्न प्रस्तर जोड़ने का निर्णय लिया गया है-

''31- सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक गोवंश (छुट्टा गोवंश) आश्रय स्थल का निर्माण कार्य (व्यक्तिगत लाभार्थियों को छोड़कर) के साथ-साथ पूर्व से निर्मित गो आश्रय स्थलों, यथा गोवंश वन्य विहार, वृहद गो संरक्षण केन्द्र, अस्थायी गो आश्रय स्थल, कान्हा उपवन या कान्हा गौशाला आदि, जिस भी नाम से जाने जाए, में विस्तारीकरण, भण्डारण क्षमता, शेड एवं बाउण्ड्रीवाल आदि जैसे निर्माण कार्य।''

3- उपरोक्तानुसार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा समय-समय पर जारी किये गये संगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2020/107/अड़तीस-9-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा एवं परीक्षा), प्रयागराज, उ0प्र0।
2- समस्त मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य (द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी)।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा,/मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
10- निजी सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
11- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
13- समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
14- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
15- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
16- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
17- गार्डबुक।

आज्ञा से,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।